

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट)**  
**दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत**

1. जिला : पंचकूला, थाना : राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला, वर्ष : 2015, प्र0सु0रि0स0 : 09  
दिनांक : 19.12.2015
2. धारा 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 व 13 पी0सी0 एक्ट, 1988
3. (क) अपराध की घटना : 24.01.2012  
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 19.12.2015 समय 03.05 पी0एम0।  
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 07
4. सूचना का प्रकार : लिखित।
5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी : उत्तर, पूर्व दिशा में करीब 2 कि0मी0।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :  
नाम : सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक।  
पिता का नाम :  
राष्ट्रीयता : हिन्दू।  
व्यवसाय : सरकारी नौकरी।  
पता : राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : भूतपूर्व चैयरमैन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, श्री D.P.S नागल, I.A.S तत्कालीन मुख्य प्रशासक HUDA, श्री S.C कांसल, (सेवानिवृत्त) मुख्य वित्तीय नियन्त्रक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला, श्री B.B तनेजा तत्कालीन उप अधीक्षक कार्यालय HUDA, लाभ पाने वाले 13 प्लाट धारक व अन्य।
8. लिंग : पुरुष/स्त्री।  
भाषा : हिन्दी।
11. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : कोई नहीं।
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :— सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 8 दिनांक 07.05.2015 पंचकूला मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग चण्डीगढ़ के यादी क्रमांक 58/30/15-1 चौ0 (II) दिनांक 06.05.2015 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की गई थी, जिसमें आरोप था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पंचकूला के फेस-1 व 2 में 14 औद्योगिक प्लाट आंबटित करने के लिये आवेदन की तारीख 07.12.2011 थी, जिसकी अन्तिम तारीख 06.01.2012 थी, के लिये आवदेन मांगे

गये थे, जो यह 14 औधोगिक प्लाट पात्रता (योग्यता) के आधार पर अलाट नहीं किये गये। आरोप की पड़ताल राज्य चौकसी ब्यूरों द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि उक्त प्लाटों के लिये आवेदन ब्रोचर अनुसार दिनांक 07.12.2011 से 06.01.2012 तक मांगे गये ब्रोचर में अलाटमैन्ट प्रक्रियां EMP 2011 HUDA अनुसार की जानी लिखा है। कार्इटेरिया की फाईल चैयरमैन HUDA में लम्बी अवधी तक पड़ी रही। दिनांक 06.01.12 को आवेदन की तारीख समाप्त होने उपरान्त चैयरमैन HUDA के द्वारा दिनांक 24.01.12 को कार्इटेरिया में बदलाव किया जाना गलत पाया गया। प्लाटों के आंबटन EMP 2011 के द्वारा प्रस्तावित कार्इटेरिया तथा कमेटी के आधार पर नहीं किया गया। चैयरमैन HUDA द्वारा कार्इटेरिया को समय सीमा के बाद कार्इटेरिया बदल कर अयोग्य उम्मीदवारों को गलत तौर पर प्लाट आंबटित किये। चैयरमैन HUDA व उनके कार्यालय को चाहिये था कि जो अनियमित्तायें हुईं, उनको दूर करवाये। लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अयोग्य उम्मीदवारों से मिलीभगत करके उन्हें मार्किट रेट से कम रेट में प्लाटों को अलाट किया। साक्षात्कार प्रक्रिया सक्षम कमेटी, जिसका विवरण HUDA के नियम EMP 2011 HUDA में दिया हुआ है, को तत्कालीन मुख्य प्रशासक श्री D.P.S नागल, आई0ए0एस0 द्वारा नियमानुसार गठित नहीं की गई। जांच से पाया गया कि HUDA अथोरिटी ने 1977 में गठित वित कमेटी को समाप्त करके एक छोटी कमेटी गठित की, जिसका नाम वर्क एंड परचेज कमेटी रखा गया था। प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि रिहायशी/औधोगिक प्लाटों के रेट निर्धारण की स्वीकृति हेतु अथोरिटी को प्रस्तुत किये जाये। अथोरिटी ने मार्किटिंग के दौरान अनपेक्षित प्लाटों के रेट भी बढ़ाने बारे लिखा था, लेकिन मुख्य प्रशासक HUDA द्वारा श्री एस0सी0 कांसल मुख्य वित्तिय नियन्त्रक जो कि सेवानिवृत हो चुके थे, को नियमों की उल्लंघना करके असैस्मैन्ट कमेटी का सदस्य नियुक्त किया। इसके ईलावा भी जो सदस्य नियुक्त किये गये, वे EMP 2011 HUDA के प्रावधानों के विरुद्ध थे, जो गलत है। जो सदस्य EMP 2011 HUDA के अनुरूप नहीं थे, उन लोगों ने मुख्य प्रशासक HUDA से मिलकर ऐसे लोगों को प्लाटों की अनुशंसा की, जिसके वे पात्र नहीं थे तथा जिनके आवेदनों में काफी त्रुटियां थी। कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मुख्य प्रशासक HUDA की जिम्मेवारी थी, कि आवेदन पत्रों में त्रुटियों को दूर करवाये तथा अयोग्य आवेदकों का साक्षात्कार ना लें। लेकिन उन्होंने अयोग्य प्लाट धारकों से मिलीभगत करके गलत तौर पर प्लाट आंबटित किये। रेट निर्धारण करने की जिम्मेवारी उपरोक्त मुख्य वित्तिय नियन्त्रक की थी, लेकिन उन्होंने प्लाट धारकों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये प्लाटों के रेट काफी कम रखे। इस प्रकार आंबटित प्लाटों को कम मूल्यों पर अपने चहेतों/आवेदकों को अलाट करके सरकार को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ वित्तिय नियन्त्रक की जिम्मेवारी थी कि जिन आवेदकों ने अपनी वित्तिय सक्षमता नहीं दर्शाई, उनकी अनुशंसा प्लाट आंबटन के लिये नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन

मुख्य वित्तिय नियन्त्रक ने आपस में मिलीभगत करके अयोग्य आवेदकों को गलत तौर पर प्लाट की अनुशंसा की। श्री बी०बी० तनेजा, उप अधीक्षक, कार्यालय HUDA जिनकी जिम्मेवारी 582 आवेदन पत्रों को चैक करने उपरान्त उन सब आवेदनों की तुलनात्मक सूचि तैयार करके कमेटी के समुख प्रस्तुत करने की थी, जिससे पता चलता कि कौन-सा आवेदक नियमानुसार पात्रता रखता था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके केवल 13 आवेदकों की सूचि अनुमोदन हेतू प्रस्तुत की। श्री बी०बी० तनेजा उप अधीक्षक कार्यालय HUDA द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को केवल 13 लोगों की लिस्ट देना व उनके नाम आंबटन के लिये प्रस्तावित करना गलत है क्योंकि सभी आवेदकों की तुलनात्मक सूचि से ही पता चलता है कि किस सफल पात्र की अनुशंसा की जानी न्यायोचित है। जांच में यह भी पाया गया कि कई आवेदक ऐसे थे, जिनके आवेदन में गम्भीर त्रुटियां थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसे नजर अन्दाज करके अपने करीबीयों व राजनैतिक चहेतों को गम्भीर त्रुटियां होने के बावजूद भी गलत तरीके से मिलीभगत करके नियमों के विरुद्ध प्लाट आंबटित किये। मूल्यांकन सीटों पर 6 माह बाद हस्ताक्षर करवाये गये। इन मूल्यांकन सीटों पर कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने नहीं पाये गये। बाकी आवेदकों की मूल्यांकन सूचि HUDA कार्यालय द्वारा जांच के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई गई। जो अधिकारी/कर्मचारी इस प्रक्रिया में किसी भी तरह शामिल थे, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये था, कि जिन आवेदनों के साथ वित्तिय सक्षम पत्र नहीं लगे हुये थे, उन आवेदनों को अनुमोदन के लिये नहीं भेजना चाहिये था। इनसे सम्बन्धित फाईल HUDA कार्यालय से गायब है। इन हालात में गहन तफ्तीश से ही पता चल सकता है कि यह फाईलें किस अधिकारी द्वारा मिलीभगत करके HUDA कार्यालय से गायब करवाई गई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग ने अपने पत्र कमांक 58/30/2015-1VII दिनांक, चण्डीगढ़ दिनांक 18.12.2015 द्वारा मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। जिसके अनुसार भूतपूर्व चैयरमैन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, श्री D.P.S नागल, I.A.S तत्कालीन मुख्य प्रशासक HUDA, श्री S.C कांसल, (सेवानिवृत्त) मुख्य वित्तिय नियन्त्रक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला, श्री B.B तनेजा तत्कालीन उप अधीक्षक कार्यालय HUDA, लाभ पाने वाले 13 प्लाट धारक व अन्य ने आपस में मिलीभगत करके अपने पद का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से जालसाजी के साथ झुठा रिकार्ड तैयार करके कम मूल्यों में प्लाटों को अलाट करके सरकार को करोड़ों रुपयें वित्तिय हानि पंहुचाई है, जिसके लिये इनके विरुद्ध धारा 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी० भा०दं०सं० वा 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा आपके पास भेजी जा रही है। बाद दर्ज करने मुकदमा नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा में भेजी जायें। एस०बी० सुरेश कुमार दिनांक 19.12.2015 उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा,

पंचकूला, समय 3:00 पी0एम0, अज थाना। उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट सी0जे0एम0 साहब पंचकूला की सेवा में व नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में आरिन्दा ए0एस0आई0 ऋषि पाल न0 274/अम्बाला भिजावाई जा रही है। असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला कें पास तफतीश हेतू हवाले की गई।

13. अनुसंधान अधिकारी :— सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला।  
ईलाका मैजीस्ट्रेट पंचकूला :—  
बदस्त ए0एस0आई0 ऋषि पाल न0 274/अम्बाला।

—हस्ता—  
निरीक्षक, (राजेश कुमार न0 A/11),  
थाना राज्य चौकसी ब्यूरों,  
हरियाणा, पंचकूला।